न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः- 15/अ-20(4)/2017-18/ बैतूल दिनांक 4/9/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद आमला के पत्र क्रमांक:- लो. नि. शा./न.पा./2018/541 दिनांक 29-5-2018 द्वारा, जनपद चौक आमला के पास स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति चाही गई है।

2- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद आमला द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार, जनपद चौक आमला के पास स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी(रा.) मुलताई से प्रतिवेदन आहूत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी(रा.) मुलताई द्वारा विषयांकित के संबंध में तहसीलदार आमला से जाँच कराई जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार विषयांकित के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- तहसीलदार आमला द्वारा उक्त संबंध में विधिवत् प्रकरण संस्थित किया जाकर हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लेकर प्रतिवेदित किया गया है कि, आमला नजूल शीट नंबर 02 भूखण्ड क्रमांक-14 क्षेत्रफल 44,745 वर्गफुट भूमि में से 902 वर्गफुट वर्तमान में रिक्त है, रिक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

(2) - मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद आमला द्वारा अपने स्तर से थाना प्रभारी आमला, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बैतूल एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग बैतूल से विषयांकित के संबंध में अभिमत/अनापत्ति प्राप्त करके, अपने प्रस्ताव के साथ उनकी छायाप्रतियाँ संलग्न की गई है।

(3)- नगर निरीक्षक आमला के पत्र क्रमांक:- थाना आमला/169/18 दिनांक 28-01-2018 एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल के पत्र क्रमांक:- 370 दिनांक 17-1-2018 द्वारा द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी आमला को प्रतिवेदित किया गया है कि, जनपद कार्यालय के सामने चौराहे पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा प्रस्तावित स्थल मानचित्र के आधार पर स्थापित करने हेतु इस कार्यालय द्वारा अनापत्ति दी जाती है, किन्तु प्रतिमा स्थापना के समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जावे तथा प्रतिमा स्थल के आसपास अतिक्रमण न हो एवं स्थल से यातायात में किसी प्रकार की बाधा या दुर्घटना भविष्य में न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

(4)- सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बैतूल के पत्र दिनांक 25-01-2018 द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद आमला को प्रतिवेदित किया गया है कि, आमला विकास योजना 2021 (प्रारूप) के अनुसार प्रश्नाधीन स्थल पोस्ट आफिस से जनपद चौक तक प्रस्तावित 18 मीटर मार्ग पर स्थित है। अत: मार्ग मध्य से 9 मीटर भूमि रिक्त रखी जावे एवं अन्य संबंधित विभागो से भी अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।,

(5)- दिनांक 29-12-2015 को आयोजित नगर पालिका परिषद आमला के परिषद सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक- 62 पारित किया जाकर जनपद चौराहा पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

(8)- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई द्वारा, उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के प्रतिवेदन के आधार पर आमला नजूल शीट नंबर 02 भूखण्ड क्रमांक- 14 क्षेत्रफल 44745 वर्गफुट में से 902 वर्गफुट भूमि जनपद चौक के पास स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित करने हेतु मुख्य नगर पालिका आमला को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/6/52/सात-नजूल/99 दिनांक 27-1-2004 द्वारा, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक -7 के अधीन केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों, उपक्रमों स्थानीय निकायों को भूमि का आवंटन करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया हैं। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक- 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का एवं शासकीय विभागो को भूमि अंतरण के प्रकरणो का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण का समग्र अवलोकन किया। प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार आमला/अनुविभागीय अधिकारी(रा.) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, आमला नजूल शीट नंबर 02 के भूखण्ड क्रमांक- 14 क्षेत्रफल 44745 वर्गफुट में से 902 वर्गफुट भूमि जिसे प्रकरण में संलग्न नक्शा (प्रदर्श-अ) में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन आरक्षित की जाकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद आमला को आधिपत्य सौपा जाता है:-

(1)- आरक्षित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)- आरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि अनुज्ञेय नहीं होगी।

(3)- शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4)- आरक्षित भूमि के सही उपयोग एवं रख रखाव आदि की जिम्मेदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मुलताई की होगी।

(5)- शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में उक्त आरक्षण स्वत: निरस्त माना जाएगा।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:-15/अ-20(4)/2017-18/ 10874

बैतूल दिनांक 4/9/2018

प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/नजूल अधिकारी आमला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

2- परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल की ओर सूचनार्थ।

3- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद आमला की ओर उनके पत्र क्रमांक:-लो.नि.शा./न.पा./2018/541 दिनांक 29-5-2018 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

4- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

5- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.